



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 492 राँची, गुरुवार, 3 श्रावण, 1946 (श०)
25 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 जून, 2024

संख्या-5/आरोप-1-28/2022 का.--25814 (HRMS)--श्री वासुदेव प्रसाद, झा०प्र०से०
(कोटि क्रमांक-853/03), तत्कालीन जिला आपूति पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2047, दिनांक-21.07.2022 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-383, दिनांक-12.04.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप संख्या-01:- दिनांक-25.11.2021 को माननीय अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची के द्वारा गोड्डा जिला भ्रमण के दौरान सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड के JSFC गोदाम में चीनी एवं नमक के संधारण में अनियमितता पायी गई ।

आरोप संख्या-02:- JSFC गोदाम का समय-समय पर निरीक्षण नहीं करना ।

आरोप संख्या-03:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना अंतर्गत निविदा विलम्ब से करना ।

आरोप संख्या-04:- PMGKAY-I, PMGKAY-II एवं ANB योजनान्तर्गत अवशेष बचे हुए चना (गोटा)/चना दाल का वितरण ससमय नहीं करना ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4870, दिनांक 03.08.2022 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री प्रसाद के पत्रांक-61/जि0आ0, दिनांक 25.01.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

3. श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-830, दिनांक 14.02.2023 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से मंतव्य की मांग की गयी ।

4. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-21866(HRMS), दिनांक-27.06.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

5. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-97 दिनांक 27.10.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0-1 को प्रमाणित होता है, प्रतिवेदित किया गया है तथा आरोप संख्या- 2, 3 एवं 4 को अप्रमाणित होता है, प्रतिवेदित किया गया है। प्रमाणित आरोप संख्या-1, आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध उपायुक्त के आदेश की अवहेलना कर आधा-अधूरा प्रतिवेदन देने एवं लापरवाही बरतने से संबंधित है ।

6. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक- 1334 दिनांक- 22.02.2024 के द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रस्तावित “झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड” के बिन्दु श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई ।

7. श्री प्रसाद के द्वारा पत्रांक-316 दिनांक- 11.03.2024 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें प्रमाणित आरोप संख्या-1 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि उपायुक्त के द्वारा अंकित आदेश के अनुरूप पत्रांक-1577 दिनांक- 29.12.2021 द्वारा बिन्दुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। तत्पश्चात पत्रांक-483 दिनांक-06.04.2022 द्वारा विहित प्रपत्र में ई-मेल के माध्यम से पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है ।

श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक- 830, दिनांक- 14.02.2023 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से वांछित मंतव्य के क्रम में उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-964 दिनांक-16.08.2023 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है जिसमें श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकारात्मक प्रतिवेदित किया गया है ।

8. अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए श्री वासुदेव प्रसाद, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-853/03), तत्कालीन जिला आपूति पदाधिकारी, गोड्डा को चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री वासुदेव प्रसाद, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक-853/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BASUDEV PRASAD JHK/JAS/43	श्री वासुदेव प्रसाद, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-853/03), तत्कालीन जिला आपूति पदाधिकारी, गोड्डा को चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
